फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री भंवरसिंह पिता श्री वरदसिंह रावत निवासी चक कालागुन पो0 ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 117 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 22.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी पत्र क्रमांक :– आरटीआई / 36 / अपील–117 / 2025 / 671 दिनांक 15.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री भंवरसिंह पिता वरदसिंह निवासी चक कालागुमान द्वारा प्रस्तुत पत्र अंकित दिनांक 20.11.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस कार्यालय हाजा को दिनांक 21.11.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 36 / 2025 / 642 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा प्रार्थी को नियत समय मे सूचना उपलब्ध करा दी गई थी।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई / 36 / 2025 / 642 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा प्रार्थी को नियत समय मे सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द